न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश प्रकरण कमांक 728 / 2010 संस्थापित दिनांक 23 / 11 / 2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0

..........अभियोजन

बनाम

1. कौशलेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह तोमर उम्र 26 वर्ष
निवासी ग्राम लोधे की पाली थाना गोहद चौराहा
फरार 2. सूरज सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह यादव उम्र 65 वर्ष
निवासी ग्राम सफूली डावर थाना सेंघरी
जिला टीकमगढ़ म0प्र0।

......... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा– 294 एवं 324/34 भा0द0सं0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ– श्री प्रवीण सिकरवार)
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता–श्री पी. के. वर्मा)

<u>::— नि र्ण य —::</u> (आज दिनांक 06.06.2017 को घोषित )

आरोपी पर दिनांक 03.10.10 को समय करीबन 13:30 बजे फरियादी राजू के खेत ग्राम लोधे की पाली में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी राजू को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी राजू की धारदार आयुध कुल्हाडी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा0दं0स0 की धारा 294 एवं 324/34 के अंतर्गत आरोप है।

- 2. यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण का प्रति प्रकरण कमांक 734/10 शा.पु. गोहद चौराहा विरूध्द राजू सिंह इसी न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका आज दिनांक को ही पृथक से निर्णय घोषित कर निराकरण किया गया।
- 3. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 03.10.10 को फरियादी राजू भेंसे चराने ले जा रहा था वह कौशलेन्द्र की मेड़ से भैसे लेकर जा रहा था उसका कौशलेन्द्र से पूर्व से पैसों के लेनदेन का विवाद था आरोपी कौशलेन्द्र उसे गालियां देने लगा था। उसने आरोपी को गाली देने से मना किया था तो कौशलेन्द्र ने उसके सिर में कुल्हाडी मारी थी जिससे उसके सिर से खून निकल आया था। उसका नौकर आ गया था जिसने उसकी पीठ में काट लिया था। मौके पर उसके चाचा रामकुमार एवं प्रकाश सिकरवार आ गए थे जिन्होंने बीचबचाव किया था। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद चौराहे पर की गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद चौराहे पर अदम चैक क050/10 लेखबद्ध की गई थी एवं फरियादी राजू को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया फरियादी राजू की चिकित्सकीय रिपोर्ट में राजू को आई चोट मानव दांतों के काटने से आना लेखबद्ध होने के कारण आरोपी के विरुद्ध अ0क0154/10 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण

के कथन लेखबद्ध किए गए। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- 4. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 5. द0प्र0स0की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया हैकि वह निर्दोष हैं उसे प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है।

## 6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 03.10.10 को करीबन 13:30 बजे फरियादी राजू के खेत ग्राम लोधे की पाली में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी राजू को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
- 2. क्या घटना दिनांक को फरियादी राजू के शरीर पर उपहतियां थीं ? यदि हां तो उनकी प्रकृति।
- 3. क्या उक्त उपहतियां फरियादी फरियादी राजू को आरोपी द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छया कारित की गईं?
- 7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी राजूसिंह आ०सा०1, बी एल बंसल आ०सा०2, रामकुमार आ०सा०3, प्रकाश सिंह सिकरवार आ०सा०4 एवं डॉ० आलोक शर्मा आ०सा०5, को परीक्षित कराया गया है जबिक बचाव के दौरान आरोपी कौशलेन्द्र वा०सा०1 द्वारा स्वयं को परीक्षित कराया गया हैं।

## निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 1

- 8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी राजूसिंह अ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग पांच साल पहले की है। वह हार में पशु चराने गया था तो उसकी भैंस कौशलेन्द्र के खेत की मेड़ पर से निकली थी तो कौशलेन्द्र ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया था। साक्षी रामकुमार अ०सा०३ ने भी कौशलेन्द्र द्वारा गाली गलौंच करना बताया है। साक्षी प्रकाश सिंह सिकरवार अ०सा०4 द्वारा उक्त बिंदु पर कोई कथन नहीं दिया गया है।
- 9. इस प्रकार फरियादी राजू सिंह अ०सा०१ एवं साक्षी रामकुमार अ०सा०३ ने आरोपी कौशलेन्द्र द्वारा गाली गलौंच करना बताया है परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी ने वास्तव में कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किए थे जिन्हें सुनकर फरियादी को क्षोभ कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा०दं०सं० की धारा 294 के संघटक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भा०दं०सं० की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

## विचारणीय प्रश्न कमांक 2

10. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ. आलोक शर्मा अ0सा05 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि उसने दिनांक 03.10.10 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना गोहद चौराहे के आरक्षक रजनीश द्वारा लाए जाने पर आहत राजूसिंह का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने राजू के शरीर पर दो चोटें पाई थी जिनमें से चोट क01 सिर के बीच वाले भाग में फटा हुआ घाव एवं चोट क0 2 दांये बखा वाले भाग में दांतों के काटने के निशान मौजूद थे उसके मतानुसार चोट क01 सख्त एवं मौथरी वस्तु से आना संभावित थी तथा चोट क02 मानव दांत के काटने से आना संभावित थी। उक्त दोनों चोटें साधारण प्रकृति की थी एवं उसकी परीक्षण अविध के पूर्व छः घण्टे के अंदर की थी। उसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी07 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण के पद क03 में उक्त

साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत के सिर की चोट सिर के बल गिरने से आना संभव है।

- 11. फरियादी राजू अ०सा०1 ने भी अपने कथन में झगड़े के दौरान उसके सिर एवं पीठ में चोट आना बताया है। साक्षी रामकुमार अ०सा०3 एवं प्रकाश सिंह सिकरवार अ०सा०4 ने भी उक्त बिंदु पर फरियादी राजू अ०सा०1 के कथन का समर्थन किया है एवं राजू के सिर एवं पीठ में चोटें आने बावत् प्रकटीकरण किया है। उक्त सभी साक्षियों का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षियों का कथन घटना दिनांक को फरियादी राजू के शरीर पर उपहित होने के बिंदु पर अखण्डनीय रहा है। प्र०पी०1 की अदम चैक एवं प्र०पी०3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी राजू के शरीर में चोट होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी राजू अ०सा०1 के कथन की पुष्टि प्र०पी०1 की अदम चैक एवं प्र०पी०3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी हो रही है उक्त बिंदु पर फरियादी राजू अ०सा०1 का कथन डाँ० आलोक शर्मा अ०सा०5 द्वारा भी किया गया है। डाँ० आलोक शर्मा चिकित्सकीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी हैं उसकी फरियादी से कोई हितबद्धता एवं आरोपीगण से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी राजू के शरीर पर उपहित होने के बिंदु पर अखंडनीय रहा है एवं अखंडनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखंडनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है।
- 12. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी राजू सिंह के शरीर पर उपहतियां थी जिनकी प्रकृति साधारण थी।

## विचारणीय प्रश्न कमांक 3

- 13. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी राजूसिंह अ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग पांच साल पहले की है। वह हार में पशु चराने गया था तो उसकी भैंस कौशलेन्द्र के खेत में चली गई थी तो कौशलेन्द्र ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया था और आकर हुद्दा हुद्दी की थी कौशलेन्द्र का नौकर सूरज आ गया था तो उसने उसे पकड़ लिया था और कौशलेन्द्र ने उसकी पीठ में काट लिया था जैसे ही नौकर ने आकर उसे पकड़ा था तो कौशलेन्द्र ने उसके सिर में धार की तरफ से कुल्हाड़ी मार दी थी उसके बाद आरोपीगण भाग गए थे। उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहे पर की थी जो प्र0पी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्व3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि झगड़ा दिन के 12 बजे हुआ था। कौशलेन्द्र की मेड़ पर उसकी भैंसे चरने गई थी जिसे उसने लौटा लिया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रकाश सिंह झगड़े के बाद घ एटनास्थल पर आए थे उस समय आरोपी कौशलेन्द्र की रिपोर्ट पर उसके पिता मंबरसिह, प्रकाश सिंह एवं श्रीराम के विरुद्ध न्यायालय में मामला संचालित है तथा इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने कौशलेन्द्र की मारपीट की थी। पद क्व5 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने कौशलेन्द्र की मारपीट की थी। पद क्व5 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने कौशलेन्द्र की मारपीट की थी। पद क्व5 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका कौशलेन्द्र से झगड़ा तथा कौशलेन्द्र का उससे झगड़ा राजेन्द्र सिंह के खेत की मेड पर हुआ था।
- 14. साक्षी रामकुमार अ०सा०३ एवं प्रकाश सिंह सिकरवार अ०सा०४ ने भी अपने कथन में फरियादी राजू अ०सा०१ के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपी द्वारा राजू की मारपीट किए जाने बावत् प्रकटीकरण किया है।
- 15. बी एल बंसल अ०सा०२ द्वारा प्र०पी०३ की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है एवं विवेचना को प्रमाणित किया गयाहै।
- 16. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारापरीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि आरोपी द्वारा किसी घटना के संबंध में फरियादी के विरूध्द भी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है जिसका प्रतिप्रकरण कमांक 734 / 10 गोहद चौराहा विरूध्द राजू आदि इसी न्यायालय में विचाराधीन है एवं फरियादी द्वारा उस रिपोर्ट से बचने के लिये आरोपी के विरूध्द झठा प्रकरण पंजीबध्द कराया गया है।
- 17. बचाव के दौरान आरोपी कौशलेन्द्र वा0सा01 द्वारा स्वयं को परीक्षित कराया गया है कौशलेन्द्र वा0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से लगभग पौने

छः साल पहले दिन के करीबन दो बजे वह अपने खेत पर था तो राजू उसके खेत पर भैंस लेकर आया था उसने भैंस लाने से मना किया था तो राजू ने उसके बांय हाथ की छोटी उंगली में फरसा मारा था राजू के चाचा श्रीराम ने उसके बांये हाथ की कलाई में लाठी मारी थी, प्रकाश ने उसकी नाक में घूंसा मारा था जब उसका नौकर बचाने आया था तो भंवर सिंह ने उसके नौकर की लात घूसों से मारपीट की थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाने पर की थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी01, मेडिकल रिपोर्ट प्र0डी02, सूरज सिंह की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0डी03 एवं नक्शामौका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी04 है। उसने राजू की कोई मारपीट नहीं की थी। राजू ने उसके विरूद्ध झूठी रिपोर्ट की थी। प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने राजू को स्वयं चोट कारित करते हुए नहीं देखा था।

प्रस्तृत प्रकरण में फरियादी राजू सिंह अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह पशु चराने हार में गया था। उसकी भैंस कोशलेन्द्र के खेत की मेड में चली गयी थी तो कौशलेन्द्र से उसक विवाद हो गया था। कौशलेन्द्र का नौकर सूरज भी आ गया था। सूरज ने उसे पकड लिया था तथा कौशलेन्द्र ने उसकी पीट में काट लिया था एवं उसके सिर में धार की तरफ से कुल्हाडी मार दी थी। इस प्रकार फरियादी राजू अ.सा. 1 ने अपने कथन में आरोपी कौशलेन्द्र द्वारा झगडे के दौरान उसकी पीठ में काट लेना बताया है। साक्षी रामकुमार अ.सा. 3 ने भी कौशलेन्द्र द्वारा राजू की पीठ में काट लेना बताया है। परंत् यह बात साक्षी प्रकाश सिंह अ.सा. 4 द्वारा नही बतायी गयी है। प्रकाश सिंह अ.सा. 4 ने सूरज द्वारा राजू की पीठ में काट लेना बताया है। इस प्रकार उक्त बिन्दुं पर फरियादी राजू आस. 1, साक्षी रामकुमार अ.सा. ३, साक्षी प्रकाश सिंह अ.सा. ४ के कथन से विरोधाभासी रहे है। इसके अतिरिक्त फरियादी राजू अ.सा. 1 ने आरोपी कौशलेन्द्र द्वारा उसकी पीठ में दॉतो से काट लेना बताया है परंतु इस तथ्य का उल्लेख कि कोशलेन्द्र ने राजू की पीठ में कॉटा था, प्रदर्श पी 1 की अदम चैक एवं प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नही है। प्रदर्श पी 1 के अदम चैक एवं प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी सुरज द्वारा कौशलेन्द्र की पीठ में दॉतो से काट लेने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्द् पर फरियादी राज् अं.सा. 1 का कथन, प्रदर्श पी 1 के अदम चैक एवं प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी किंचित विरोधाभासी रहा है। परंतु यह मानवीय स्वभाव है कि वह इस कारण से कि उसके कथन पर अधिक विश्वास किया जाये, घटना को बढा चढा कर प्रस्तुत करता है। पंरतु मात्र इस आधार पर उसके संपूर्ण कथनो को अविश्वनीय नहीं माना जा सकता है। न्याय दृष्टान्त अगर अहीर और अन्य विरूध्द बिहार राज्य ए आई आर 19965 एस.सी. 265 में यह विधिक स्थिति प्रतिपादित की गयी है कि एक झूठ तो सब झूठ, ना तो विधि का सुर्थापित नियम है और ना ही प्रक्रिया का, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा साक्षी हो, जिसके कथनो में असत्य का अंश ना हो या बढा चढा कर वर्णन या नमक मिर्च लगा कर वर्णन ना किया जा रहा हो या उसमें सजावट ना हो। न्याय दृष्टांत अब्दुल गनी विरूध्द मध्य प्रदेश राज्य ए आई आर 1954 एससी 31 में यह विधिक स्थिति प्रतिपादित की गयी है कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह झूट एवं सच के मिश्रण में से सच को निकालने का प्रयास करे। न्यायालय को दूध का दूध एवं पानी का पानी करने तथा भूसे के ढेर से दाना निकालने का प्रयास करना चाहिये। साक्ष्य में फर्क होनें पर संपूर्ण साक्ष्य को एवं मामले को नकारने का सरल तरीका अपनाया जाना उचित तरीका नही है।

19. प्रस्तुत प्रकरण में यद्यपि फरियादी राजू अ.सा. 1 के कथन प्रदर्श पी 1 की अदम चेक एवं प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से किचिंत विरोधाभासी रहे पंरतु मात्र इस आधार पर फरियादी राजू अ.सा. 1 के संपर्ण कथनो को अविश्वनीय नहीं माना जा सकता है।

1 के संपूर्ण कथनों को अविश्वनीय नहीं माना जा सकता है।
20. फरियादी राजू अ.सा. 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि झगड़ा दिन के करीब 12.00 बजे हुआ था। जबिक प्रदर्श पी 1 की अदम चैक में झगड़े का समय दिन के 13.30 बजे अंकित है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी फरियादी राजू अ.सा. 1 के कथन प्रदश पी 1 के अदम चैक से किचिंत विरोधाभासी रहे है। पंरतु यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 03.10.10 की है एवं फरियादी राजू अ.सा. 1 के कथन न्यायालय में दिनांक 2701.16 को अंकित किये गये है। ऐसी स्थिति में समय का लंबा अंतराल होने के कारण फरियादी के कथनों में उक्त विसंगित होना स्वाभाविक है एवं उक्त तथ्य इतना तात्विक भी नहीं है जिसके आधार पर संपूर्ण अभियोजन घटना को अविश्वनीय माना जाये।

21. फरियादी राजू अ सा 1 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन उसकी भैस कोशलेन्द्र के खेत में मेढ में चली गयी थी तो कौशलेन्द्र ने उसे गाली देना शुरू कर दिया था। उसकी गुददा गुददी की थी एवं कौशलेन्द्र ने उसके सिर में धार की तरफ से कुल्हाड़ी मार दी थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि उसका कौशलेन्द्र से झगड़ा एवं कौशलेन्द्र का उससे झगडा राजेन्द्र सिंह के खेत की मेढ पर हुआ था। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है पंरतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विंसंगतियों को छोड़ कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। यहाँ तक साक्षी रामकुमार अ.सा. 3 एवं प्रकाश सिंह अ.सा. 4 के कथन का प्रश्न है, उक्त साक्षीगण ने भी फरियादी राजू अ.सा. 1 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपी कौशलेन्द्र द्वारा राजू के सिर में कुल्हाडी मार देने बाबत प्रकटीकरण किया है। साक्षी रामकुमार अ.सा. 3 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि उसने आरोपी कौशलेन्द्र को फरियादी राजू को कुल्हाडी मारते हुये देखा था। प्रकाश सिंह अ.सा. 4 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि जब कोशलेन्द्र ने राजू को कुल्हाडी मारी थी तो उस समय वह मौके पर आ गया था। उसने कोशलेन्द्र को राजू को कुल्हाडी मारते हुये देखा था। उक्त दोनो ही साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनो ही साक्षीगण का कथन तात्विक विरोधाभासो से परे रहा है। इस प्रकार साक्षी रामकुमार अ.सा. 3 एवं प्रकाश सिंह अ.सा. 4 के कथनो से भी यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण ने भी कौशलेन्द्र को राजू के सिंर में कुल्हाडी मारते हुये देखा था।

. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि आरोपीगण द्वारा उक्त घटना के संबंध में फरियादी के विरूध्द भी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है जिसका प्रतिप्रकरण क्रमांक 734/10 गोहद चौराहा विरूध्द राजू आदि न्यायालय में विचाराधीन है एवं फरियादी द्वारा उक्त रिपोर्ट से बचने के लिये आरोपी के विरूध्द झूठा प्रकरण पंजीबध्द कराया है। आरोपी कौशलेन्द्र ब.सा. 1 द्वारा उक्त बिन्द्र पर स्वयं को परीक्षित कराया गया है। कीशलेन्द्र ब.सा. 1 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन फरियादी राज् उसके चाचा श्रीरामप्रकाश, भंवर सिंह ने उसकी एवं उसके नौकर की मारपीट की थी। उसने राजू की कोई मारपीट नहीं की थी। बचाव पक्ष द्वारा उक्त संबंध में प्रतिप्रकरण क्रमांक 734 / 10 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श डी 1, चिकित्सीय रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श डी 2 एवं प्रदेश डी 3 तथा नक्शामीका की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श डी 4 भी प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है। यद्यपि यह सत्य है कि फरियादी राजू के विरूध्द प्रतिप्रकरण क्रमांक 734 / 10 इ.फी. न्यायालय में विचाराधीन है एवं फरियादी राजू अ. सा.1 द्वारा भी यह स्वीकार किया है कि कोशलेन्द्र की रिपोर्ट पर उसके तथा उसके पिता भंबर सिंह, प्रकाश सिंह एवं श्रीराम के विरूध्द न्यायालय में मामाला विचाराधीन है। आरोपी कोशलेन्द्र ब.सा. 1 ने भी अपने कथन में घटना वाले दिन फरियादी राजू से झगडा होना बताया है। इस प्रकार प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह तो स्पष्ट है कि घटना वाले दिन फरियादी एवं आरोपी के मध्य झगडा हुआ था। आरोपी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि फरियादी पक्ष झगडे का अग्रेसर था। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी की भैस आरोपी के खेत की मेढ में चले जाने के उपर से विवाद हुआ है। उभयपक्षों की साक्ष्य से यह दर्शित नहीं है कि फरियादी पक्ष झगड़े का अंग्रेसर था। आरोपी कौशलेन्द ब.सा. 1 ने स्वयं घटना वाले दिन फरियादी से झगडा होना स्वीकार किया है। कोशलेन्द्र ब.सा. 1 द्वारा फरियादी राजू अ.सा. 1 की चोटो के संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि फरियादी द्वारा आरोपीगण के विरूध्द मिथ्या अपराध पंजीबध्द कराया गया है एवं उक्त तथ्य से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नही होता है।

23. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि फरियादी राजू अ.सा. 1 ने कोशलेन्द्र द्वारा उसके सिर में कुल्हाडी माराना बताया है पंरतु चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 में फरियादी के सिर में कटा हुआ घाव नही है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है। पंरतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। फरियादी राजू अ.सा. 1 रामकुमार, अ.सा. 3 एवं प्रकाश सिंह अ.सा. 4 ने कोशलेन्द्र द्वारा फरियादी राजू के सिर में धार की तरफ से कुल्हाडी माराना बताया है। यद्यपि चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 में फरियादी राजू के सिर में फटा हुआ घाव होने का उल्लेख है परंतु यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण व्यक्ति कुल्हाडी का उपयोग सामान्यतः लकडी काटने के लिये करते है। अतः कुल्हाडी की धार उतनी तीक्ष्ण नही रह जाती है, जितनी की चाकू एवं तलवार जैसे धारदार आयुध की होती है। ऐसी स्थिति में कुल्हाडी की चोट से कटा हुआ घाव ना आना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 को प्रमाणित होने के लिये यह आवश्यक है कि मारपीट किसी असन, वेधन या काटने के किस उपकरण द्वारा या आक्रमक आयुध द्वारा की गयी हो। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी राजू अ.सा. 1 ने आरोपी कोशलेन्द्र द्वारा उसकी कुल्हाडी से मारपीट करना बताया है तथा कुल्हाडी आक्रमक आयुध की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में आरोपी कोशलेन्द्र का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 की परिधि में आती है एवं बचाव पक्ष अधिवक्ता के उक्त तर्क से आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं धारा 324 की परिधि में आता है एवं बचाव पक्ष अधिवक्ता के उक्त तर्क से आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं

होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी राजू अ.सा. 1 ने आरोपी कोशलेन्द्र द्वारा उसकी कुल्हाडी से मारपीट करना बताया है। साक्षी रामकुमार अ.सा. ३ एवं प्रकाश सिंह अ.सा. 4 द्वारा भी फरियादी राजू अ.सा. 1 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपी कोशलेन्द्र द्वारा राजू की कुल्हाडी से मारपीट किया जाना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतू प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोडकर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। फरियादी राजू द्वारा घटना की सूचना यथाशीघ्र थाने पर दी गयी है। फरियादी राजू अ.सा. 1 का कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्रदर्श पी 1 की अदम चैक एवं प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्सनीय साक्ष्य प्रस्तृत नहीं की गयी है। चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 में भी फरियादी राजू के शरीर के उसी भाग पर चोट होना वर्णित है जिस भाग पर मारपीट के दौरान चोट आना फरियादी राजू द्वारा बताया गया है। इस प्रकार फरियादी राजू अ.सा. 1 का कथन चिकित्सीय साक्ष्य से भी पुष्ट रहा है एवं यहाँ फरियादी का कथन चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट हो वहाँ उसके कथनो पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत धर्मा विरूध्द मध्य प्रदेश राज्य 1992 भाग 1 एम पी डब्ल्यू एन 71 उल्लेखनीय है जिसमें माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ आहत व्यक्ति का कथन चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट हो वहाँ उसके कथनो पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

🗥 ूफलतः उपरोक्त चरणे में की गयी विवेचना से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को आरोपी कोशलेन्द्र ने फरियादी राजू की आक्रमक धारदार आयुध कुल्हाडी से मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी।

अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी द्वारा फरियादी को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी थी? उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आरोपी के मध्य भैंसो के उपर विवाद हुआ था एवं उक्त विवाद के दौरान आरोपी द्वारा फरियादी की आक्रमक धारदार आयुध कुल्हाडी से मारपीट की गयी थी। मारपीट करते समय आरोपी कौशलेन्द्र यह समझने में सक्षम था कि उसके द्वारा जिस आयुध से फरियादी राजू की मारपीट की जा रही है उससे राजू को उपहति कारित होना संभावित है। आरोपी का ऐसा कहना भी नहीं है कि उसके द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुये फरियादी को उपहति कारित की गयी थी। प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह भी दर्शित नहीं है कि फरियादी पक्ष झगड़े को अग्रेसर था। ऐसाी स्थिति में प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि आरोपी द्वारा फरियादी राजू को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी थी।

फलतः उपरोक्त चरणा में की गयी समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी कौशलेन्द्र ने दिनांक 03.10.10 को 13.30 बजे फरियादी के खेत ग्राम लोधे की पाली में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी राजू की आकामक धारदार आयुध कुल्हाडी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी कौशलेन्द्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 / 34 के अंतर्गत दोषी पाती है।

समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपी कौशलेन्द्र सिंह को भा.द.सं. की धारा 294 के आराप से दोषमुक्त करते हुये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324/34 के अंतर्गत सिध्ददोष पाते हुये दोषसिध्द करती है।

ALLAND FOR सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया। 29.

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च-

- 30. आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।
- 31. आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता हैिक अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है आरोपी द्वारा नियमित रूपसे विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपी द्वारा जिस तरह से फरियादी राजू की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की गईहै उन परिस्थितियों में आरोपी को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। आरोपी को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है। फलतः यह न्यायालय आरोपी कोशलेन्द्र सिंह को भादस की धारा 324/34 के अंतर्गत छः माह के सश्रम कारवास एवं पाँच सा रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिकृम होने पर 15 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास के दंड से दंडित करती है।
- 32. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
- 33. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपी सूरज सिंह फरार है। अतः प्रकरण की संम्पत्ति एवं प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जावे।
- 34 आरोपी जितनी अविध के लिये न्यायिक निरोध में रहा है उसके संबंध में धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अविध उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहा है।

स्थान – गोहद दिनांक –06.06.2017 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

सही / —
(प्रतिष्टा अवस्थी)
श्रेणी
न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
प्र0)
गोहद जिला भिण्ड(म०प्र0)